समेकित आजीविका सहायोग परियोजना

(उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति)

पत्रांक सं0 319 /02-1.3.1/2013-14

दिनांक: 3 | 05.2013

सेवा में,

1. सचिव, जलागम, देहरादून।
2. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव/निदेशक पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, उपासक।
9. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।

विषय :– समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihoods Support Project) की परियोजना प्रबन्धन इकाई की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihoods Support Project) की परियोजना प्रबन्धन इकाई की प्रथम बैठक दिनांक 30.11.2012 को सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में समाकक्ष–संख्या 105, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक का कार्यवृत्त (Minutes) पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :– परियोजना प्रबन्धन इकाई की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त ।

भवदीया,

3/5

(ज्योत्सना सितलिंग)
परियोजना समन्वयक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई,
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना

पत्रांक सं0 /02-1.3.1/2013-14 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्धन कमेटी, समेकित आजीविका सहायोग परियोजना को सादर सूचनार्थ।

(ज्योत्सना सितलिंग)
परियोजना समन्वयक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई,
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना

Registered Office: 272-C, Phase II, Vasant Vihar, P.O. New Forest Dehradun- 248006 Phone: 0135-2762798, Fax : 0135-2762800, email: uliph05@yahoo.com

सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता मे दिनांक 30.11.2012 को आयोजित 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project-ILSP)' की राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन कमेटी की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 30.11.2012 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सचिव, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता मे 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन कमेटी की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मे परियोजना प्रबन्धन कमेटी निम्न सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री भास्करानन्द–सचिव, जलागम
2. श्रीमति सौजन्या – अपर सचिव, वित्त
3. श्रीमति दमयन्ती दोहरे – अपर सचिव, पशुपालन
4. श्री देवेन्द्र– संयुक्त सचिव, कृषि एवं बागवानी
5. श्री जे0एल0 शर्मा – अनुसचिव, पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास
6. श्री संजीव कुमार शर्मा–अनुसचिव पर्यटन
7. डा0 परमाराम– संयुक्त निदेशक – कृषि जैविक
8. श्री महेन्द्र पाल, ओ0 एस0 डी0 उद्यान
9. सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, परियोजना निदेशक आजीविका एवं प्रबन्ध निदेशक उपासक
10. डा0 आर0पी0 कवि– संयुक्त निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय
11. श्री0 पी0के0 सिंह– उप निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय
12. श्री पवन कुमार – मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपासक

अन्य प्रतिभागी

1. श्री गंगेश्वर पाण्डे– आजीविका परियोजना
2. श्री अशोक चतुर्वेदी– आजीविका परियोजना
3. श्री तरूण अग्रवाल – आजीविका परियोजना
4. श्री राजीव सिंघल – आजीविका परियोजना
5. श्री संदीप सैक्सेना – आजीविका परियोजना

6. डा0 पी0 पाठक– जलागम प्रबन्ध निदेशालय

7. श्री अनिल जुयाल–सलाहाकार, – आजीविका परियोजना

8. श्री ललित कुमार – आजीविका परियोजना

बैठक के आरम्भ मे परियोजना निदेशक, आजीविका परियोजना द्वारा सभी उपस्थित सदस्यो का स्वागत किया गया। तदोपरान्त परियोजना प्रबन्धन कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमे परियोजना प्रबन्धन कमेटी की बैठक का ऐजेन्डा कार्यसूची के अनुसार प्रस्तुत किया गया। बैठक की कार्यसूची के अनुसार उक्त बैठक का कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार हैः–

कार्यसूची PMC:1.01:

<u>समेकित आजीविका सहयोग परियोजना का प्रस्तुतिकरण</u>

परियोजना निदेशक, आजीविका परियोजना द्वारा उपस्थित सदस्यो के समक्ष 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' का प्रस्तुतीकरण किया गया व उपस्थित सदस्यो को उक्त परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गयी।

कार्यसूची PMC:1.02 :

परियोजना की राज्य स्तरीय परियोजना स्टीयरिंग कमेटी (Project Steering Committee) की दिनांक 03.10.2012 को सम्पन्न बैठक मे लिये गये निर्णयो की जानकारी

परियोजना निदेशक, आजीविका द्वारा समिति के सदस्यो का अवगत कराया गया कि दिनांक 03.10.2012 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता मे समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की प्रथम बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमे लिये निर्णयो के आधार पर उक्त बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। उक्त बैठक का कार्यवृत्त का सभी सदस्यो के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया व बैठक मे लिये गये निर्णयों की जानकरी दी गयी। समिति द्वारा उक्त बैठक के कार्यवृत्त का संज्ञान लिया गया व निर्देश दिये गये कि परियोजना को गति प्रदान करने हेतु स्टीयरिंग कमेटी मे लिये गये निर्णयो पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए व संबंधित विभागो से अनुमोदन प्राप्त किये जाएं।

कार्यसूची PMC:1.03 :

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वर्ष 2012–13 के वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का अनुमोदन

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वित्त वर्ष 2012–13 के लिए वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट रू0 **22.525 करोड़** के बजट को प्रस्तुत किया गया।

उक्त बजट पर समिति द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान **सचिव जलागम** द्वारा निम्न सुझाव दिये गये:–

1.03.01 परियोजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले विभिन्न Physical Structure व संस्थाओं से संबंधित अभिलेखों को सही रूप से रखरखाव किया जाये व GIS system के द्वारा भी उनको चिन्हित किया जाए।

(कार्यवाही–परियोजना निदेशक, ILSP and परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई)

1.03.02 समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वित्त वर्ष 2012–13 के लिए वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट (संलग्नक 4 के पृष्ट सं0 13) की बिन्दु सं0 1.2, Market Access मद मे परियोजना उत्पादो को मण्डियों से जोड़ा जाए, जिसके लिये जिला स्तर पर भी मझोले एवं सूक्ष्म स्तर की मण्डियो की व्यवस्था करने हेतु कृषि विभाग से अभिसरण किया जाए।

(कार्यवाही– परियोजना निदेशक, ILSP)

1.03.03 समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के वित्त वर्ष 2012–13 के लिए वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट (संलग्नक 4) के पृष्ट सं0 13 की बिन्दु सं0 1.4, Vocational Training हेतु उपनल से भी संपर्क किया जाए।

(कार्यवाही– परियोजना निदेशक, ILSP)

उक्त चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये :

1.03.04 परियोजना के लाभार्थियो के स्वरोजगार अवसर विकसित करने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हे पर्वतीय क्षेत्रो की आवश्यकता के अनुसार बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाए जिससे उन्हे रोजगार के उन्नत अवसर उपलब्ध हो सकें।

(कार्यवाही– परियोजना निदेशक, ILSP)

1.03.05 जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा बजट का उपयोग प्रशिक्षण व कार्यशालाओ में न कर कृषि व बाजार आधारित व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने मे किया जाए व इन कार्यो को परियोजना के NGO के कार्यो मे भी सम्मिलित किया जाए।

(परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई)

1.03.06 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण एवं ज्ञान प्रबन्धन मद के अन्तर्गत परियोजना के प्रारम्भ से ही प्रभावी सूचना तंत्र प्रणाली (MIS) का निर्माण किया जाए, जिसके लिये बाजार से MIS प्रबन्धन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाए। मूल्यांकन एवं अनुश्रवण मद मे वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित ढांचागत व्ययों का पुर्नआंकलन कर व्ययों का पुर्ननिर्धारण किया जाए। इससे संबंधित प्रस्ताव संशोधित वार्षिक कार्ययोजना मे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही–परियोजना निदेशक, ILSP and परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई)

1.03.07 परियोजना मे प्रारम्भ मे खुले बाजार से निविदाएं आमत्रित कर Base Line Survey करवाया जाए।

(कार्यवाही–परियोजना निदेशक, ILSP and परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई)

उक्त दिशानिर्देशो के उपरान्त निम्न प्रस्ताव द्वारा परियोजना के वार्षिक बजट का निम्न प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन किया गया।

"संकल्पित है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना का संज्ञान लिया गया तथा रू0 22.525 करोड़ (रू0 बाईस करोड बावन लाख पचास हजार मात्र) का वार्षिक कार्ययोजना व बजट को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

यह भी संकल्पित है कि उक्त अनुमोदित बजट मे जलागम प्रबन्ध निदेशालय के कर्मचारियो के वेतन हेतु प्राविधानित रू0 10.54 करोड की व्यवस्था कृषि विभाग के बजट तथा शेष धनराशि रू0 11.985 की व्यवस्था ग्राम्य विकास मे बाहय सहायतित परियोजना मद के अन्तर्गत की जायेगी।"

कार्यसूची **PMC:1.04 :**

समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की कियान्वयन निर्देशिका (**Project Implementation Manual)** का अनुमोदन:

भारत सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के मध्य दिनाँक 01.02.2012 को सम्पादित वित्तीय अनुबन्ध के Schedule II, Implementation Arrangement के पैरा 13 (**संलग्नक 6 पृष्ट सं0 10**) मे निहित शर्तो के अनुसार आईफैड की सहमति से तैयार की गयी परियोजना की कियान्वयन निर्देशिका **(Project Implementation Manual)** को कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया ।

कमेटी द्वारा परियोजना कियान्वयन निर्देशिका का संज्ञान लिया गया व परियोजना को गतिशीलता प्रदान करने व परियोजना के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु परियोजना कियान्वयन निर्देशिका के सैद्धान्तिक अनुमोदन की आवश्यकता को समझा गया, किन्तु शासकीय नियमो के अनुसार उक्त परियोजना कियान्वयन निर्देशिका के –

(1) Chapter 1.6(Procurement Procedures) ;
(2) Chapter 1.4 (Project Organisation and Management) के अन्तर्गत Annex 1.4.6, Annex 1.4.7, Annex 1.4.8, Annex 1.4.9, Annex 1.4.10 (Responsibilities of CPCU Staff, Responsibilities of UGVS PMU Staff, Responsibilities of District PMU staff of UGVS Staff , Responsibilities of UPASaC Staff, Role and Responsibilities of WMD Staff) तथा
(3) Chapter 4.1(Draft Finance & Administration Manual for UGVS) के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों के वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन (Delegation of Powers)

का अनुमोदन वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही किया जा सकता है। अतः कमेटी द्वारा उक्त के संबंध मे निम्न प्रस्ताव पारित किया गया:–

*"संकल्पित है समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के कार्यो के संचालन / कियान्वयन हेतु परियोजना के **Project Implementation Manual Volume –I** तथा **Project Implementation Manual Volume –II** का परियोजना प्रबन्धन कमेटी द्वारा संज्ञान लिया गया।*

*यह भी संकल्पित है कि परियोजना कियान्वयन निर्देशिका **Volume-I(Project Implementation Manual-Volume-I)** के **Chapter 1.6(Procurment Procedures), Chapter 1.4 (Project Organisation and Management)** के अन्तर्गत **Annex 1.4.6, Annex 1.4.7, Annex 1.4.8, Annex 1.4.9, Annex 1.4.10 (Responsibilities of CPCU Staff, Responsibilities of UGVS PMU Staff, Responsibilities of District PMU staff of UGVS Staff , Responsibilities of UPASaC Staff, Role and Responsibilities of WMD Staff)** तथा **Chapter 4.1(Draft Finance & Administration Manual for UGVS)** के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों के वित्तीय अधिकारो का प्रतिनिधायन **(Delegation of Powers)** को वित्त विभाग की*

सहमति/संशोधनो के उपरान्त ही तदनुसार अनुमोदित माना जायेगा व परियोजना कियान्वयन निर्देशिका **Volume-I** मे निहित अन्य सभी अध्यायों को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

यह भी संकल्पित है कि परियोजना के घटक-2 : जलागम विकास के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा प्रस्तुत **Project Implementation Manual-Volume II** का भी सैद्धान्तिक अनुमोदन किया जाता है।

यह भी संकल्पित है कि उक्त **Project Implementaion Manuals** मे भविष्य मे परियोजना आवश्यतानुसार संशोधन के लिये परियोजना प्रबन्ध कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किया जाए व आइफैड की सहमति प्राप्त की जाए।

यह भी संकल्पित है कि परियोजना प्रबन्धन कमेटी के सचिव उक्त के संबंध मे आवश्यक कार्यालय आदेश जारी करें।"

कार्यसूची **PSC:1.05 :**

<u>उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के बैंक खाते खोलने की स्वीकृति</u>

परियोजना कार्यो के वित्तीय प्रवाह हेतु उत्तरराखण्ड ग्राम्य विकास समिति मे मुख्यालय एवं जनपद/प्रभागीय स्तर पर परियोजना के बैंक खाते खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त के संबंध मे कार्यसूची के प्रस्ताव पर अपर सचिव वित्त द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना खाते राज्य सहकारी बैंको मे न खोले जाए। उक्त सुझाव के उपरान्त निम्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

"संकल्पित है कि परियोजना के घटक -1, खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि के अन्तर्गत किये जाले वाले कार्यो के वित्तीय प्रवाह हेतु उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के मुख्यालय का देहरादून के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मे उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति **A/C** समेकित आजीविका सहयोग परियोजना **(Uttarakhand Gramya Vikas Samiti A/c Integrated Livelihood Support Project)** के नाम से बैंक खाता खोला जाए।"

यह भी संकल्पित किया जाता है कि उक्त खाते का संचालन उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति मे समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के परियोजना निदेशक **(Project Director)** तथा वित्त प्रबन्धक **(Finance Manager)** के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा।"

"यह भी संकल्पित है कि परियोजना के घटक –1, खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के वित्तीय प्रवाह हेतु उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के परियोजना प्रभागों/जनपदो अल्मोडा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी व उत्तरकाशी जनपदो/प्रभागों मे राष्ट्रीयकृत बैंकों /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों मे उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति A/C समेकित आजीविका सहयोग परियोजना **(Uttarakhand Gramya Vikas Samiti A/c Integrated Livelihood Support Project)** के नाम से बैंक खाते खोले जाए।"

यह भी संकल्पित किया जाता है कि उक्त खातों के संचालन उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति मे समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के संबंधित प्रभागीय प्रबन्धक **(Divisional Manager)** तथा संबंधित सहायक प्रबन्धक – वित्त **(Assistant Manager- Finance)** के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरो से किये जाएगें।"

कार्यसूची PMC:1.06 :

उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी के बैंक खाते खोलने की स्वीकृति

परियोजना कार्यो के वित्तीय प्रवाह हेतु उत्तरराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी के मुख्यालय का देहरादून मे परियोजना के बैंक खाते खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त के संबंध मे कार्यसूची के प्रस्ताव पर अपर सचिव वित्त द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना खाते राज्य सहकारी बैंको मे न खोले जाए। उक्त सुझाव के उपरान्त निम्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

उक्त के कम मे निम्न प्रस्ताव माननीय सदस्यो के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है:-

"संकल्पित है कि परियोजना के घटक –3, आजीविका वित्तपोषण के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो के वित्तीय प्रवाह हेतु उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी के मुख्यालय का देहरादून के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मे उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी A/C समेकित आजीविका सहयोग परियोजना **(Uttarakhand Parvatiya Aajeevika Sanvardhan Company A/c Integrated Livelihood Support Project)** के नाम से बैंक खाता खोला जाए।"

यह भी संकल्पित किया जाता है कि उक्त खाते का संचालन उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक (Managing Director) तथा उप प्रबन्धक–वित्त (Deputy Manager-Finance) के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा।"

कार्यसूची PMC:1.07 :

परियोजना के innovation Partner VPKAS, HARC,Manipal City & Guilds तथा UBFDB के प्रस्तावों का अनुमोदन

भारत सरकार तथा आईफैड के मध्य निष्पादित परियोजना के वित्तीय अनुबन्ध (संलग्नक 6) के पैरा Schedule 1, Project Description के पैरा 4.1 (C), पृष्ट सं0 6 मे परियोजना के घटक 1, खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि के उपघटक Innovation Linkage and Market linkage के अन्तर्गत निर्धारित कार्यो जैसे (1) उपज अनुसंधान, (2) प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, (3) Citrus अनुसंधान व (4) गैर प्रकाष्ट वन उपज पर आधारित उद्यम विकास के कार्यो को परियोजना के Innovation Partner- Vivekanand Parviatiya Krishi Anusandhan Sansthan (VPKAS), G.B. Pant University of Agricuture and Technology(GB PUAT) , Uttarakhand Livestock Development Board (ULDB), Himalayan Action Research Centre(HARC) एवं Uttarkhand Bamboo and Fibre Development Board(UBFDB) के माध्यम से Direct Contract से किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्तानुसार परियोजना के Project Implementation Manual की सारणी 1.3 (संलग्नक 5, पृष्ट सं0 43) मे उक्त संस्थाओ के द्वारा किये जाने वाले कार्यो हेतु बजट प्राविधान किया गया है। परियोजना निदेशक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उक्त के अतिरिक्त Vocation Training मद के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो को Manipal City & Guilds के माध्यम से Direct Contract से किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिनका कुल रू0 20.00 लाख का प्रस्ताव परियोजना को प्राप्त हुआ है। उक्त को सम्मिलित करते हुये कमेटी के समक्ष संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कमेटी द्वारा विचारोपरान्त निम्न प्रस्ताव पारित किया गयाः–

"संकल्पित है कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के Innovation Partner- विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (VPKAS),उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद (UBFDB)),हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर (HARC) तथा Manipal City & Guilds से प्राप्त निम्न प्रस्तावों पर case to case आधार पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए व सहमति के उपरान्त उक्त संस्थाओ के साथ कार्य हेतु आवश्यक अनुबन्ध निष्पादित किये जायें

क्रम सं0	संस्था का नाम	प्रस्ताव विवरण	कुल प्रस्ताव लागत
1	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	Food Security and Livelihood enhancement through sustainable farm models in Hill district of Uttarakhand	3,72,79,880
2	उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्	Bamboo and Natural Fiber Based Enterprise Development Project	2,04,82,000
3	हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर (HARC)	Citrus Action Research Programme	79,44,000
4	Manipal City & Guilds	Vocational Training	20,00,000

बैठक के अन्त मे परियोजना निदेशक आजीविका परियोजना द्वारा सचिव महोदय व अन्य उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यो का धन्यवाद किया गया । उक्त के उपरान्त सचिव महोदय की आज्ञा से बैठक का समापन किया गया।

13/12

परियोजना निदेशक, आजीविका परियोजना
P.D., ULIPH

सचिव, जलागम
एवं
सह–अध्यक्ष परियोजना प्रबन्धन कमेटी

सचिव ग्राम्य विकास
एवं
अध्यक्ष–परियोजना प्रबन्धन कमेटी